फर्द अहकाम

बनाम

ाम न्यायालय

ेस संख्या

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5/8/19 पत्रावली पेश हुई। आज्ञप्ति / कार्य [illegible] अन्य [illegible] जुबरल [illegible] के नहीं / पुनर्मुद्रांकन पत्रावली दिनांक 7.10.19 को पेश है। उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
	3-10-19	पत्रावली पेश हुई। नवीन अपील अपील है। वहां नवीन अपील की सुनी गयी। पक्षगण [illegible] अपील [illegible] किया गया तो अपीली [illegible] अपीलार्थी द्वारा [illegible] 45/1 में की गई है भूमि का [illegible] अपवर्ज [illegible] में आदेश दि. 653 दि. 3.4.18 पारित किया गया जिसकी आदेश प्रति पत्रावली में संलग्न है, एवम भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में आना [illegible] प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया, इस अभाव प्रार्थना पत्र अनुसार [illegible] 45/1 में [illegible] भूमि की अपील में [illegible] की जा रही है जिसमें की गई है भूमि का [illegible] परिवर्तन मात्र [illegible] की प्रार्थी में विलेख 177 के तहत प्रमाण साबित नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं। अतः तहसीलदार द्वारा [illegible] में है। विलेख 177 में [illegible] है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद [illegible] नकल से मय होकर [illegible] दायर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (सवाईमाधोपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:08:38 IST
Reason: SelfAttested